

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)

क्रमांक:- प.10(1) प्रसु/अनु-1/2012

जयपुर, दिनांक 13-11-2019

आदेश

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयन्ति वर्ष के अवसर पर राज्य सरकार के समस्त विभागों/बोर्डों/निगमों/आयोगों/कार्यालयों में समस्त राजकीय दस्तावेजों यथा सरकारी वेबसाइटों, ई-मेल, राजकीय स्टेशनरी, कलेण्डर, सरकारी विज्ञापनों एवं विज्ञापन सामग्री, डिजिटल हस्ताक्षर, अ.शा. पत्रों, राज्य परिवहन के राजकीय साधनों, बसों, राज्य की विभिन्न ट्रेनों, मेट्रो रेल आदि में "Gandhi 150 logo" का उपयोग किया जाना है। यह logo संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट <http://gandhi.gov.in> से download/Copy कर उपयोग किया जा सकता है।

अतः समस्त संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन समस्त विभागों/बोर्डों/निगमों/आयोगों/कार्यालयों में समस्त राजकीय दस्तावेजों में "Gandhi 150 logo" का उपयोग आवश्यक रूप से सुनिश्चित करावे।

J.S., L.S.E.E

14/11/19

mt to

all hods

राजस्थान शासन
मुख्य सचिव

- 54 -

(डी.बी.गुप्ता)

मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. प्रमुख आवासीय आयुक्त/आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, पण्डारा रोड़, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. समस्त संभागीय आयुक्त।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. समस्त निगम/बोर्ड/आयोग।
10. आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान-जयपुर-प्रचार-प्रसार हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान शासन

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, ईएसआई योजना,
लक्ष्मीनगर, अजमेर रोड, जयपुर
दूरभाष न. 0141-2223572

E-Mail-dmhseasi@yahoo.co.in/esis-rj@esic.nic.in
Website- <http://www.health.rajasthan.gov.in/esi>

क्रमांक- प./जी-2/ईएसआई/2019/ 387

दिनांक 15-11-19

प्रतिलिपि निम्न को पृष्ठांकित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करें :-

1. अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, जोधपुर/कोटा/भीलवाड़ा/पाली।
2. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, राजस्थान।
3. समस्त शाखा प्रभारी, इस निदेशालय।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

राजस्थान शासन
(डॉ. आर. पी. वर्मा)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव